न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीणा, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
110 / 2019	20.09.2019	05/5/2016

जगदीश प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण, ब्राह्मण नि0 उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
—वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर, राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
—प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री महेश चंद अग्रवाल, एडवोकेट, वादी की ओर से
राजकीय पैरोकार।

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी मे भूमि साबिक ख0न0 298 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का कबिज काश्तकार खातेदार वादी के पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र मगनलाल रहे है। वादी के पिता का इंतकाल हो चुका है। वादी उक्त भूमि का तन्हा खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के पास ही साबिक ख0न0 295 स्थित रहा हैं जिसकी बाउन्डरी वादी के खेत ख0न0 298 से लगी हुई है। वादी का चक व ख0न0 295 की सीमाए मिली होने के कारण रिकॉर्ड मे वादी आज भी अपनी होल्डिंग साबिक ख0न0 298 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा पर काबिज काश्त है। भूप्रबन्ध के दौरान वादी को हाल ख0न0 2172/6248 रकबा 0.29 है0 ही भूमि वादी के खाते मे दर्ज की है। शेष रकबा हाल ख0न0 2144 व ख0न0 2172/6248 मे मिला दिया। भूप्रबन्ध ने हाल ख0न0 2144 को साबिक ख0न0 295/1 से मिलना अपने मिलान क्षेत्रफल मे दर्शाया है। वादी अपने 2 बीघा 2 एयर अर्थात 53 एयर भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु वादी को मात्र 29 एयर ही भूमि दी है जो साबिक रकबे की तुलना मे 26 एयर भूमि कम है। भूप्रबन्ध विभाग ने ख0न0 2122 रकबा 0.56 है0 को गैरमुमकिन रास्ते मे वादी की साबिक ख0न0 298 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा 0.26 है0 गलत रूप से शामिल कर दिया है। जिसको वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावे कि भूमि ख0न0 2144 रकबा 0.56 है0 मे से 0.26 है0 ग्राम उदेईकलॉ मे वादी की खातेदारी भूमि ख0न0 2172/6248 की पश्चिम दिशा ओर लगती हुई भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

से पाबंद फरमाया जावे कि वे उक्त भूमि मे वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने जबाब दावे मे अंकित किया है कि संवत 2025–28 मे ख0न0 298 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा ग्राम उदेईकलॉं, लक्ष्मीनारायण पुत्र मगनलाल, ब्राह्मण के नाम दर्ज था। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा भूमि ख0न0 298 रकबा 2 बीघ 2 बिस्वा जो कि पूर्वमे लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज रिकॉर्ड था का नया ख0न0 2172/6248 रकबा 0.29 है0 बनाया गया जो वर्तमान मे वादी के नाम दर्ज है तथा उक्त ख0न0 के लगते हुए वर्तमान ख0न0 2144 रकबा 0.56 है0 है।

वादपत्र के समर्थन में वादी नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 143, 1 प्रदर्श 1, 2 नकल फर्द मिलान रकबा भूप्रबन्ध प्रदर्श 3, नकल हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 4, नकल साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श 5, नकल जमाबंदी संवत 2025–28 खाता संख्या 343 ग्राम मिर्जापुर प्रदर्श 8 प्रस्तुत किये है एवं बयान वादी सूक्या पीडब्ल्यू 1 कराये है।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अपने जबाब के समर्थन मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किय गये है और ना ही कोई मौखिक साक्ष्य करायी गई है।

बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस मे कहा है कि वादग्रस्त भूमि चारागाह दर्ज है। जिसकी खातेदारी नही दी जा सकती है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2025–28 प्रदर्श 6 के अनुसार खसरा नम्बर 298 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा लक्ष्मीनारायण पुत्र मगनलाल जाति ब्राह्मण की खातेदारी मे दर्ज है। वादी का कहना है कि इसका नवीन ख0न0 2172/6248 रकबा 0.29 है0 बनाकर वादी की खातेदारी मे दर्ज कर दिया गया है जबकि साबिक रकबे के अनुसार 0.53 है0 रकबा वादी को मिलना चाहिए था। साबिक ख0न0 298 के लगता हुआ साबिक ख0न0 295 रहा है एवं वर्तमान ख0न0 2144 रकबा 0.56 है0 मे वादी का रकबा शामिल कर इसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। वादी ने साबिक ख0न0 298 के बने नवीन खसरा नम्बरों का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नही किया है एवं ख0न0 2144 की भूमि मे वादी के कब्जे सम्बधित कोई दस्तावेज भी वादी ने प्रस्तुत नही किये है। ख0न0 2144 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है। जिसमे से वादी कोई भूमि प्राप्त करने का अधिकारी भी नही है। फलस्वरूप वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

(3)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/5/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

उनवान

जगदीश प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण, ब्राह्मण नि० उदेईकलॉ तह० गंगापुर सिटी
—वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर, राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
—प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. —110/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महेश चंद अग्रवाल, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई राजकीय पैरोकार मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/5/2026 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्चा		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)